

11-9-18 वकुलाभ फरीकन उप. वकील
 काका की कोर से कुप्रति. उभ
 साथ दलकन उ येशकिरा
 उभयपक्ष के वकील को
 बहल हुनी उउईने वल्ले
 निर्णय २. 18-9-18 को पेश
 हो ११ तक उल्लेख 7.2
 केवधि कडा इजाली है।

18-9-18 वकुलाभ फरीकन शजिए। श्रीमान एम. डी. एम.
 साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं।
 पत्रावली वास्तु निर्णय दिनांक 25-9-18 को पेश
 हो। AM

25-9-18 वकील पत्रकारान शजिए। अवधि पर प्रती
 खारिज किया जाता है एवं न्यायालय द्वारा
 जारी अध्याई निषेधाज्ञा दिनांक 30-9-18
 को निरस्त किया जाता है। अध्या अध्या
 से लिखावा जोकट सुनावा गया। पत्रावली
 केवल में गुणर होकट मूल वा के साव
 संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर